



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-दतिया

निं-2600-I-16

श्री कृष्ण गुगोरिया पुत्र स्व. श्री राधेश्याम
गुगोरिया निवासी - जीन प्रेस रेल्वे स्टेशन
रोड़ दतिया (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला दतिया

..... अनावेदक

दिनांक 3-8-16 को
श्री धर्मेश मंडल
का नाम से जिला मंडल

3-8-16

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अवैध
कालौनी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2016, 20.07.2016
के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दतिया का आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, पटवारी दतिया गिर्द अपने प्रतिवेदन अनुसार सर्वे नं. 2187 रकवा 145 एकड़ वर्ष 1943-44 में पूर्णतः चरगोई दर्ज है। वर्तमान में 2187/1 रकवा 28.506 है0 नजूल तथा 2187/2 एवं 2187/26 तक खाते की भू-स्वामी रक्त्व पर दर्ज है। अमर गृह निर्माण समिति अध्यक्ष प्रभूदयाल सर्वे नं. 2187/3/1 मिन 1 रकवा 0.375 है0 हरकुवंर बेवा रामदीन श्रीराम, घनश्याम, दुर्गाप्रसाद, गनपत, परराराम, रामबाबू, तेजराम, पुत्र रामदीन सर्वे नं. 2183/4 मिन 2 रकवा 0.336 है0 कृष्ण कुमारी पत्नी मुरारी लाल वेश 2187/7/2/1 मिन 1/ख रकवा 0.106 है0 2187/7/2/1 मिन 1 ख रकवा 0.723 श्रीकृष्ण पुत्र राधेश्याम सर्वे क्रमांक 2187/8 मिन 3/क रकवा 1.592 गुरुनानक गृह निर्माण समिति अध्यक्ष कन्हैयालाल सर्वे नं. 2187/9 मिन 2 रकवा 1.695 है0 लल्लू देवी पत्नी हरदयाल दंगी 2187/10/1/क/मिन1/क रकवा 0.19 है0 एम.के. एसोसियेशन प्रो0 गुरुमुखदास तुलसानी का सर्वे नं. 2187/13क रकवा 0.415 है0 माया पत्नी चलाराम आशीष पुत्र रामचन्द्र राकेश भारती, पुत्र श्याम सुन्दर भारती सर्वे नं. 2187/21 मिन 2/क रकवा 0.496 है0 प्रशांत बलवानी पुत्र चलाराम का सर्वे नं. 2187/25/1/मिन 1 रकवा 0.725 है0 उक्त खातेदारों द्वारा अवैध रूप से प्लांटिक कर मय रास्ते के प्लांट बेचे जा रहे है। अतः धारा 59 एवं सहपठित धारा 172 के तहत बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी किये जाने का आदेश पारित किया।
3. यहकि, प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.06.2016 नियत की गयी और सभी पक्षकारों को विधिवत् सूचना पत्र दिये बिना ही उक्त दिनांक को एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गयी जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है।
4. यहकि, आवेदक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के जाबब के पूर्व प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमे बताया गया कि भूमि का परिवर्तन धारा 59 का दायरा हेड ए-2 होता है, जबकि वर्तमान प्रकरण दायरा हेड 01 अवैध कालौनी अंकित किया गया है जो गलत है। इसके अलावा आपत्ति की गयी कि शिकारत कर्ता द्वारा

Debat
03/08/16


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-2600-एक/2016

जिला-दतिया

श्री कृष्ण गुगोरिया विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला-दतिया के प्रकरण क्रमांक 01/अवैध कॉलोनी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-07-2016 एवं 20-07-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला-दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-08-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (आर0के0 जे0) सदस्य</p>